

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
(जीएसटी-अन्वेषण प्रकोष्ठ)

10वां माला, टावर-2,
जीवन भारती बिल्डिंग
कनाट सर्कस, नई दिल्ली
दिनांक 25 मई, 2022

निर्देश संख्या 01/2022-23 [जीएसटी - अन्वेषण]

विषय: तलाशी, निरीक्षण या जांच के दौरान कर जमा करने के संबंध में।

तलाशी, निरीक्षण या जांच के दौरान, कभी-कभी करदाता डीआरसी-03 प्रस्तुत करके ऐसी तलाशी, निरीक्षण या जांच के दौरान विभाग द्वारा इंगित किए गए मुद्दे से उत्पन्न होने वाली अपनी आंशिक या पूर्ण जीएसटी देयता जमा करने का विकल्प चुनते हैं। ऐसा देखा गया है कि जहां कुछ करदाताओं ने स्वेच्छा से डीआरसी-03 के माध्यम से जीएसटी देयता जमा करने के बाद तलाशी या निरीक्षण या जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा 'वसूली' करने के लिए बल और जबरदस्ती का आरोप लगाया है। इस संबंध में कुछ करदाताओं ने माननीय उच्च न्यायालयों में वाद भी दायर किये हैं।

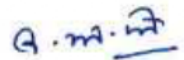
2. मामले की जांच-परख की गई है। बोर्ड ने विधि के सही प्रयोग को सुनिश्चित करने और करदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए करों के स्वैच्छिक भुगतान की वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की है। यह देखा गया है कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत करदाता के पास जीएसटी पोर्टल पर डीआरसी-03 के माध्यम से स्वेच्छा से कर जमा करने का विकल्प है। ऐसे स्वैच्छिक भुगतान केवल करदाता द्वारा ही अपनी लॉग इन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके जीएसटी पोर्टल में लॉग इन करके शुरू किए जाते हैं। कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले कर का स्वैच्छिक भुगतान सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73(5) और धारा 74(5) के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय है। यह करदाताओं को कर के विलंबित भुगतान के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 के तहत ब्याज के बोझ को वहन किए बिना, अपनी स्वीकृत देयता, स्व-निर्धारित या कर अधिकारी द्वारा निर्धारित के रूप में निर्वहन करने में मदद करता है और धारा 73 या धारा 74, जैसा भी मामला हो, के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उस पर लगने वाले अधिक दंड से भी बचा सकता है।

3. आगे यह भी पाया गया है कि भुगतान न किए गये अथवा कम भुगतान किए गये करों की सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 79 के प्रावधानों के अंतर्गत वसूली तभी की जा सकती है जब यथोचित विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत नोटिस जारी की गयी हो और उसके बाद न्यायनिर्णय आदेश को जारी करके मांग की अभिपुष्टि की गयी हो। कोई भी वसूली तबतक नहीं की जा सकती है जब तक कि न्यायनिर्णयन

प्राधिकारी के द्वारा जारी किए गये किसी आदेश के अंतर्गत अथवा सीजीएसटी एक्ट के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गये नियमों के अंतर्गत कोई राशि देय न हो गयी हो। अतः ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती है जिसमें कि किसी तलाशी, निरीक्षण या जांच के दौरान ऐसी प्रक्रिया के तहत पैदा हुये किसी मुद्दे के कारण किसी कर अधिकारी के द्वारा किसी करदाता से ऐसी वसूली करनी पड़े। हालांकि, ऐसी प्रक्रिया के दौरान या इसके बाद भी ऐसे मुद्दे के बारे में स्वयं के द्वारा या कर अधिकारी के द्वारा कोई कर देयता विनिश्चित की जाती है और करदाता स्वेच्छा से इसका भुगतान करना चाहता है, तो उसे ऐसा करने से कानून मना नहीं करता।

4. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती है जिसमें किसी तलाशी, निरीक्षण या जांच के दौरान किसी बकाया कर की वसूली करने की जरूरत पड़े। हालांकि, ऐसी प्रक्रिया के पहले या प्रक्रिया के किसी स्तर पर ऐसा पता चलता है कि कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम किया गया है, और अपनी देयता के विनिश्चय के आधार पर करदाता स्वेच्छा से इसका भुगतान करना चाहता है तो उसे ऐसा करने से कानून मना नहीं करता। कर अधिकारी को यह चाहिए कि वह करदाताओं को डीआरसी-03 के माध्यम से कर के स्वैच्छिक भुगतान के प्रावधानों के बारे में अवगत करा दे।

5. सीजीएसटी जोनों के प्रधान मुख्य आयुक्तों/ मुख्य आयुक्तों और डीजीजीआई के प्रधान महानिदेशक को यह सलाह दी जाती है कि यदि किसी तलाशी, निरीक्षण या जांच के दौरान ऐसी राशि को जमा किए जाने के लिए किसी प्रकार का दबाव या उत्पीड़न किए जाने के बारे में अपने अधिकारियों के खिलाफ करदाता से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस बारे में शीघ्रतिशीघ्र जांच की जाए और किसी अधिकारी की कोई गलती निकलती है तो ऐसे गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।



(विजय मोहन जैन)

आयुक्त (जीएसटी-अन्वेषण),

सीबीआईसी

सेवा में:

1. प्रधान महानिदेशक [डीजीजीआई], नयी दिल्ली
2. प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, सभी जोन
3. वेबमास्टर, सीबीआईसी, निर्देशानुसार सीबीआईसी की वेबसाइट (www.cbic.gov.in) पर अपलोड करने के लिये।